विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	लोक निर्माण
प्रश्न संख्या अतारांकित	:	1909
उत्तर की तिथि	:	02–03–2022
विषय	:	सम्पर्क सड़क
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर)
सम्बन्धित मन्त्री	:	मुख्य मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:– (क) विधायक प्राथमिकताओं में तीन मीटर चौड़ाई वाली सम्पर्क सड़कें बनाई जा सकती हैं;	जी नहीं, अभी तक विधायक प्राथमिकताओं में तीन मीटर चौड़ाई वाली सम्पर्क सड़कों को बनाने का कोई प्रावधान नही हैं, जबकि विभाग द्वारा 5/7 मीटर चौड़ाई व 3.05 मीटर carriage way वाली सड़कें ही बनाई जाती हैं।
(ख) यह सत्य है कि इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा तीन मीटर चौड़ाई वाली सड़कों को भी मान्यता दी गई है; और	जी नहीं, इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा तीन मीटर चौड़ाई वाली सम्पर्क सड़कों को बनाने की मान्यता नहीं है। इंडियन रोड कांग्रेस में चार मीटर Roadway width वाली सड़कों की मान्यता है, जिस में parapets, side drain भी होती है जिनके लिए 1.20 मीटर अतिरिक्त width की आवश्यकता होती है।
(ग) जनजातीय क्षेत्र में अनेक ऐसे स्थान हैं जहॉ पर मोटरेबल सड़क बनाने के लिए पर्याप्त चौड़ाई उपलब्ध नहीं है एवं बहुत से ऐसे गांव हैं जिनके अन्दर से बागवानी व कृषि विकास के लिए जीपेबल तीन मीटर चौड़ाई वाली सड़कें ही बनाई जा सकती हैं; यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार नाबार्ड द्वारा पोषित योजनाओं में जीपेबल तीन मीटर चौड़ाई वाली सड़कों को बनाने के लिए अनुशंसा करेगी; ब्यौरा दें ?	वर्तमान में नाबार्ड सिर्फ बस योग्य सड़कों व पुलों को ही वित पोषित करता है। प्रदेश में जीप योग्य सड़कों का भी राज्य बजट के अन्तर्गत निर्माण किया जाता है। नाबार्ड के अन्तर्गत जीप योग्य सड़कों के निर्माण को वित्त पोषित करने बारे अभी कोई प्रावधान नही है।